

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सरकारी

जिला - जाजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

क्रमांक १६५२
अनुदान / मान्यता / २०२१
प्रति,

संक्ति, दिनांक : ३.१.०३.२०२२

प्रबंधक वर्ग,

सरकारी पालिका रखते हुए
जिला - जाजगीर चाम्पा (छ.ग.)

(नामीनीकरण)
(अधिकारी का नाम)

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के धारा के प्रयोजनों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र दिनांक १०-०२-२०२२ के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पद्धतिवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के उपरान्तों में (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख ०१-०३-२०२२ से ०१-०३-२०२२ तक ३ वर्षों की अवधि के लिए कक्षा से तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों की पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

- मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८वीं के पश्चात् मान्यता / संबद्धन करने के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (परिशिष्ट-दो) के उपबंधो का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बच्चों की संख्या के प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के विद्यालय को अधिनियम की धारा -12(2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बच्चे को उनके आयु का समूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय सुविशिष्ट करेगा कि :-
 - प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से बोर्ड परीक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

- (घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ।
- (ङ) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निश्चित / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) में अधीन यथा अधिकथित, न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं ।
- (च) अध्यापक अधिनियम के धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा ।
- (छ) अध्यापक स्वयं को किसी नीजि अध्यापन क्रियाकलापों में नियासेजित नहीं करेंगे ।
- (ज) अध्यापक स्वयं को किसी निजि अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
8. विद्यालय अधिनियम के धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्न अनुसार हैं -
- * विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 - * कुल निर्माण का क्षेत्रफल
 - * खेल का मैदान का क्षेत्रफल
 - * अध्यापन कक्षाओं की संख्या
 - * प्रधान पाठक-सह-कार्यालय -सह-भण्डार हेतु कक्ष
 - * बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
 - * पेयजल सुविधा
 - * मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई
 - * बाधारहित पंहुचे
 - * अध्यापन पठन सामाग्री / क्रीड़ा खेलकुद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय परिसरों के भीतर या बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएँ नहीं चलाई जाएँगी ।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा एवं कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जावेगा ।
11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक , वैयक्तिक समूह संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।
13. विद्यालयों के लेखों की किसी थार्ट एकाउन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण के नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 22062400156 है । कृपया इसे नोट करले औश्च इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राधार के लिए संख्यांक का उल्लेख करें ।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट औश्च सूचना प्रस्तुत करेगा । जो शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय -समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता प्राप्त संबंधी शर्तों क सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए ।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवनीकरण यदि कोई हो ,को सुनिश्चित किया जाये ।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्या कोई शर्त ।

गढ़वा 31/3/22
जिला शिक्षा अधिकारी

सदस्ती

जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.)